

बैंककारी विनियमन के संबंध में भारतीय दृष्टिकोण *

उषा थोरात

‘एशियाई उभरते बाजारों में वित्तीय क्षेत्र विनियमन और सुधार’ विषय पर एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्स्टीट्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल रेग्युलेशन, द यू के फॉरेन एण्ड कॉमनवेल्थ ऑफिस और ब्रुकिंग्स इन्स्टीट्यूशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन में भाग लेते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। यह सत्र जो अभी-अभी समाप्त हुआ है, उसमें हमने उभरते बाजारों की वित्तीय गतिविधियों के बारे में सुना। इस सत्र में, मैं बैंकिंग विनियमन संबंधी भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहूंगी।

2. मैंने अपने इस प्रस्तुतीकरण को चार भागों में विभाजित किया है। शुरू-शुरू में मैं तेजी से उन मुख्य कारकों को संक्षेप में दोहराऊंगी जिन्होंने मौजूदा वैश्विक वित्तीय संकट में योगदान दिया है और इसे संक्षेप में अंतरराष्ट्रीय विनियामक प्रतिक्रिया के लेखे-जोखे के साथ बताऊंगी। उसके पश्चात, मैं भारतीय बैंकिंग और विनियामक परिदृश्य - संकट से पूर्व और संकट के उपरांत, दोनों ही परिदृश्यों पर बात करूंगी। अंततः, चूंकि भारत उच्च वृद्धि के लिए प्रयासरत है, अतः मैं आपके समक्ष बैंकिंग विनियमन में उभर रही चुनौतियों का उल्लेख करूंगी।

3. इस मौजूदा वित्तीय संकट से 60 वर्ष में सबसे खराब वैश्विक आर्थिक मंदी आई है। हालांकि, इस संकट का केंद्र बिंदु अमरीका के सब-प्राइम बंधक बाजार में है, लेकिन यह तेजी से पूरे विश्व में फैल गया और इसने वित्तीय बाजारों और बैंकिंग प्रणालियों को अस्थिर बना दिया। अंततः, इस संकट से व्यापक रूप से समष्टि आर्थिक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई जिसने पूरे विश्व में आर्थिक वृद्धि और रोजगार को प्रभावित किया। इस संकट की विशालता ने वैश्विक वित्तीय विनियामक संरचना (अर्कीटेक्चर) के मेजर ओवरहाल की आवश्यकता का स्पष्ट संकेत दिया है। जी-20 देश के नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय विनियामक एजेंसियों और मानक-निर्धारकों, जिसमें बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति

* 8 फरवरी 2010 को मुंबई में ‘एशियाई उभरते बाजारों में वित्तीय क्षेत्र विनियमन और सुधार’ विषय पर एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्स्टीट्यूट और कॉर्नेल युनिवर्सिटी, द यू के फॉरेन सर्विसेस ऑफिस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण। श्री पी.आर. रवि मोहन, श्री ए. के. मिश्रा और श्री तुलसी गोपीनाथ द्वारा दी गई सहायता के प्रति हार्दिक आभार।

(बीसीबीएस), वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) तथा अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आइएसबी) शामिल हैं, को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना अनिवार्य बनाया है। खुल रही स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दर्शाते हुए अंतरराष्ट्रीय विनियामक एजेंसियां वित्तीय प्रणाली की आघात सहनीयता को और मजबूत बनाने, विशेष रूप से इस मौजूदा संकट द्वारा पता चले विनियामक ढांचे के अंतरों को पाटने की दिशा में काम कर रही हैं।

वैश्विक वित्तीय संकट के महत्वपूर्ण कारक

4. हाल ही के इस वैश्विक वित्तीय संकट की उत्पत्ति पीछे लौटकर देखते हुए वैश्विक असंतुलनों की बढ़ी हुई अवधि, सरल मौद्रिक नीति, निम्न वास्तविक ब्याज दरों और जोखिम को कम करके आंकने में खोजी जा सकती है क्योंकि चलनिधि प्रतिलाभों का पीछा कर रही थी। यह निम्न मुद्रास्फीति और सुदृढ़ वृद्धि की अवधि - एक ठनिर्वाण्ड जैसी स्थिति थी। इस सौम्य वातारवरण ने निवेशकों को प्रतिलाभ के लिए अपनी खोज ने क्रेडिट क्वालिटी कर्व से भी नीचे ले जाने के लिए प्रेरित किया जो बहुत ज्यादा आशावादी आकलनों तथा क्रेडिट जोखिम के आकलन में पर्याप्त परिश्रम की कमी को दर्शाता है। इस माह के प्रति आंशिक प्रतिक्रिया स्वरूप इस वित्तीय प्रणाली ने सन्निहित लीवरेज के साथ नये ढांचे विकसित किए और नयी लिखतों का निर्माण किया तो ऐसा लगा कि ये अपेक्षाकृत अधिक जोखिम समायोजित प्रतिलाभों का प्रस्ताव दे रहे थे। लेकिन वास्तव में जितने ये दिखाई दे रहे थे, ये उससे कहीं ज्यादा जोखिम भरे थे। इस सेटिंग में जरूरत से ज्यादा विश्वास बाजार अनुशासन पर रखा जाना शुरू हुआ जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के आकलनों पर बढ़ती हुई निर्भरता के साथ मौजूद आशावाद को दर्शाता है। अल्पावधि लाभ आधारित वित्तीय क्षेत्र मुआवजा प्रणाली ने जोखिम लेने की गति को मजबूत बनाना सुसाध्य बनाया। विनियामक प्रथाओं, लेखांकन नियमों और प्रोत्साहनों के तारामंडल ने इस संकट से पहले ही क्रेडिट बूम का आकार कई गुना बढ़ा दिया। उन्हीं कारकों ने बाजार में मंदी की

गति बढ़ा दी और इस संकट को और घना बना दिया। समष्टि आर्थिक स्थिरता तथा वित्तीय स्थिरता दोनों ही अलग-अलग और असंबद्ध अवधारणाएं मानी गईं जिसमें से पहले वाली निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति बनाये रखने पर केन्द्रित थी जबकि बाद वाली औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के फर्म-लेवल पर्यवेक्षण से संबंधित थी। इस प्रक्रिया में, न केवल विकसित हो रहा छायावादी वित्तीय क्षेत्र नजर अंदाज कर दिया गया, बल्कि ऐसे कारक भी जैसे कि जटिल वित्तीय प्रणाली के भीतर परस्पर सहयोजिता, टू-बिग-टू-फेल संस्थाओं से उत्पन्न होने वाली प्रणालीगत जोखिम और प्रणाली व्यापी चलनिधि आवश्यकताएं भी नजर अंदाज कर दी गयीं।

विनियामक सुधारों के लिए ब्ल्यू प्रिंट- अंतरराष्ट्रीय एजेंडा

5. विनियामक सुधारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय पहलों के व्यापक सामान्य स्वरूपों में पूंजी की गुणवत्ता और जोखिम कवरेज को मजबूत बनाने, न्यूनतम चलनिधि मानकों और लीवरेज अनुपात प्रारंभ करने, पूंजी बफरों और दूरगामी प्रावधानों के रूप में प्रतिचक्र्रीय उपाय, सीमा पर संकल्प व्यवस्थाओं सहित प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं के लिए एक ढांचा विकसित करने, मुद्रा के अविनियमित समूहों तक नियंत्रणकारी घेरा फैलाने, केंद्रीय प्रतिपक्षी पार्टियों के माध्यम से ओटीसी डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जोखिम समाप्त करने और वित्तीय क्षेत्र के भीतर कर्मचारियों के लिए वेतन विनियमित करने के लिए नये ढांचे की परिकल्पना की गई है। बीसीबीएस द्वारा किए गए नए प्रस्तावों का आकलन इस वर्ष पूरा हो जाएगा और इस वर्ष के अंत तक पूर्णतया कैलिबरेटेड उपाय विकसित किए जाने की आशा की जाती है।

भारतीय परिदृश्य

6. अधिकांश उभरती बाजार की अर्थव्यवस्थाओं के समान भारत की वित्तीय प्रणाली विकसित अर्थव्यवस्थाओं

में हो रहे इस वित्तीय उथल-पुथल से गंभीर रूप से प्रभावित नहीं थी। इसका प्रमुख कारण था वैश्विक वित्तीय प्रणाली के साथ घरेलू वित्तीय क्षेत्र का अपेक्षाकृत रूप से कम एकीकरण और भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं का सिंथेटिक और कॉम्प्लेक्स रूप से बनाए गए उत्पादों के प्रति सीमित एक्सपोजर। अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभावों का मुख्य कारण पूंजी प्रवाहों का अचानक विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगना, विदेशी और देशी बाजारों से क्रेडिट की उपलब्धता में कसाव आना जिसका उद्देश्य क्रमशः देशी विदेशी मुद्रा बाजार और चलनिधि स्थितियों को प्रभावित करना था। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस समय बैंकों को समय पर क्रेडिट उपलब्ध कराना था उस समय उन पर दबाव बढ़ गया जबकि उनके अपने वित्तीय संसाधन पिछले तीन वर्ष में तेज क्रेडिट विस्तार के फलस्वरूप पहले से ही काफी दबाव में थे। इन परिस्थितियों में, रिजर्व बैंक की विभिन्न नीतिगत पहलों का जोर प्रचुर रूपया चलनिधि उपलब्ध कराने, सुगम डालर चलनिधि की स्थिति सुनिश्चित करने और उत्पादक क्षेत्रों को क्रेडिट के सतत प्रवाह हेतु एक बाजार वातावरण बनाए रखने पर रहा है।

7. भारतीय वित्तीय प्रणाली को जिसने विपत्ति से बचाया, वह था पूंजी नियंत्रणों के माध्यम से विदेशी बाजारों, विशेष रूप से ऋण बाजारों के साथ देशी वित्तीय प्रणाली का क्रमिक और सुविचारित समन्वयन - साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों, जो आस्ति बुलबुलों जैसे कि रियल इस्टेट और पूंजी बाजारों के प्रति अति झुकाववाले क्षेत्रों को बैंक एक्सपोजर नियंत्रित करने के लिए सुविचारित विनियामक नीतियों के प्रति हमारा नीतिगत दृष्टिकोण। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करते हुए कि बैंक पर्याप्त पूंजी और चलनिधि बनाए रखें, विदेशी मुद्रा और ऋण बाजारों की अनावश्यक अस्थिरता को नियंत्रित रखा गया जिससे वृद्धि को प्रोत्साहित करते हुए वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने में सहायता मिली। बैंकिंग विनियमन विषयक भारतीय दृष्टिकोण को समझने के लिए यह उपयोगी रहेगा कि इस संकट से पहले विनियामक ढांचे पर नज़र डाली जाए और इस संकट को देखते हुए इस ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए उपायों पर नज़र डाली जाए।

विनियामक ढांचा - संकट से पूर्व

8. बैंकों के लिए विनियामक ढांचा बनाते समय भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य को हमेशा ध्यान में रखा है। ढेर सारे प्रतिक्रमिय विनियामक उपाय जोकि पूरे विश्व में अब ध्यान आकर्षित कर रहे हैं वे इस संकट के शुरू होने से पहले से ही भारत में लागू किए जा चुके थे।

पूंजी अपेक्षाएं

9. भारत में बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) पहले से ही 8 प्रतिशत के बासल मानदंड की तुलना में 9 प्रतिशत है जोकि अधिक है। बैंकों के लिए 1 अप्रैल 2010 से छह प्रतिशत का न्यूनतम टीयर I पूंजी अनुपात सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए मौजूदा औसत सीआरएआर 13 प्रतिशत से अधिक है जबकि टीयर I अनुपात लगभग 9 प्रतिशत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि टीयर I पूंजी में अमूर्त आस्तियां और आस्थगित कर आस्तियां शामिल नहीं हैं जोकि अब अंतरराष्ट्रीय रूप से घटा दी जाती हैं।

चलनिधि बफर

10. भारतीय बैंकों के पास तरल आस्तियों की काफी धारिता है क्योंकि उन्हें नकदी आरक्षित अनुपात -सीआरएआर जोकि मौजूदा समय में 5.75 प्रतिशत है और सांविधिक चलनिधि अनुपात - एसएलआर जोकि मौजूदा समय में 25 प्रतिशत है, ये दोनों ही उन्हें अपनी जनिवलेट देयताओं के अनुपात के रूप में बनाए रखने होते हैं। बैंकों की दैनंदिन चलनिधि आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिए केंद्रीय बैंक की चलनिधि सहायता केवल 25 प्रतिशत के न्यूनतम सांविधिक अपेक्षा से अधिक रखी जानेवाली एसएलआर प्रतिभूतियों की बिना पर ही उपलब्ध होती है। इस प्रकार, अधिक रखी गई एसएलआर हमेशा चलनिधि बफर के एक स्रोत के रूप में उपलब्ध रहती है। इसके अलावा, गंभीर स्थितियों में रिजर्व बैंक भी एसएलआर अपेक्षा घटा सकता है ताकि बैंकों को परिणामस्वरूप मिलनेवाले

अधिक एसएलआर की बिना पर चलनिधि उपलब्ध कराई जा सके। परस्पर संबद्धता को सीमित करके, विशेष कर असंपार्श्विक मुद्रा बाजार में तथा संस्थागत स्तर पर प्रणाली स्तर पर अत्यंत अल्पावधि के लिए चलनिधि जोखिमों को पूरा करने के लिए भी उपाय किए गए हैं। एक दशक से भी पहले भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के लिए आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) विषयक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे जिसमें चलनिधि जोखिम मापन, रिपोर्टिंग ढांचा और विवेकसम्मत सीमाओं का समावेश था। बैंकों से अपेक्षा की गई है कि वे सभी समयावधियों की अपनी संचयी विसंगतियों की निगरानी करें और अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से आंतरिक विवेकसम्मत सीमाएं तय करें। चलनिधि जोखिम प्रबंध को और ग्रेन्यूलर बनाने के साथ-साथ एएलएम मार्गदर्शी सिद्धांत अक्टूबर 2007 में अद्यतन बनाए गए थे।

संकेंद्रित जोखिम का प्रबंधन

11. यह मानते हुए कि जोखिमों का संकेंद्रण बैंकों की समस्याओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, 1989 में काफी पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकों को सूचित किया था कि वे विशेष उद्योगों और क्षेत्रों को अपने एक्सपोजरों पर निदेशक मंडल से अनुमोदित सीमाएं आंतरिक रूप से निर्धारित करें और साथ ही एकल अथवा समूह उधारकर्ताओं को बैंकों के एक्सपोजरों के संबंध में विवेकसम्मत विनियामक सीमाएं निर्दिष्ट करें।

12. एकल और समूह उधारकर्ता एक्सपोजरों के संबंध में विवेकसम्मत सीमाएं हैं जिनके अनुसार आज की तारीख में बैंकों को एकल उधारकर्ता को पूंजी निधियों के 15 प्रतिशत तक और उधारकर्ता समूह को पूंजी निधियों के 40 प्रतिशत तक उधार देने की अनुमति है। इसे बुनियादी सुविधा क्षेत्र को उधार देने के लिए क्रमशः 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत तक और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, बैंकों को इस बात की अनुमति भी दी गई है कि वे अपवादात्मक परिस्थितियों में उधारकर्ता (एकल और समूह) को दिए गए एक्सपोजरों में अपने निदेशक मंडल

के अनुमोदन से पूंजी निधियों के 5 प्रतिशत तक की और बढ़ोतरी करने पर विचार कर सकते हैं। 2003 में, एकल और समूह उधारकर्ता एक्सपोजरों तथा पूंजी बाजार एक्सपोजरों संबंधी विवेकसम्मत सीमाओं को समेकित स्तर के साथ-साथ समस्त बैंकिंग समूह तक बढ़ा दिया गया था।

पूंजी बाजार एक्सपोजर

13. आस्ति-मूल्य अस्थिरता के असर से बैंकों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से निधीयित और अनिधीयित दोनों प्रकार के स्रोतों से अर्जित किए गए पूंजी बाजार को अपने एक्सपोजरों के लिए विवेकसम्मत मानदंड निर्दिष्ट किए गए थे। शुरू-शुरू में एक्सपोजर की उच्चतम सीमा पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंक के कुल बकाया अग्रियों के 5 प्रतिशत पर तय की गई थी। तथापि, अप्रैल 2007 से लागू पूंजी बाजारों को बैंक का सकल एक्सपोजर उसकी निवल मालियत के 40 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। इस समग्र उच्चतम सीमा के भीतर, किसी बैंक का शेयरों, परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों, इक्विटी-उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनितों और जोखिमपूर्ण निधियों के सभी एक्सपोजरों में बैंक का प्रत्यक्ष निवेश उसकी निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार, किसी समेकित बैंक का पूंजी बाजार को सकल एक्सपोजर तथा पूंजी बाजारों में इसके प्रत्यक्ष निवेश पर उच्चतम सीमाएं क्रमशः समेकित निवल मालियत के 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत तक तय कर दी गई हैं।

रियल इस्टेट एक्सपोजर

14. बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वाणिज्यिक रियल इस्टेट (जिसे विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है) को अपने एक्सपोजर की निगरानी करें ताकि इस क्षेत्र में होनेवाली किसी भी प्रकार की मंदी के जोखिम को सीमित किया जा सके। हालांकि इस संबंध में कोई विनियामक सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ साइट सर्विलेंस के माध्यम से सीआरई क्षेत्र को प्रत्येक

बैंक के एक्सपोजर की कड़ी निगरानी रखता है और जब जरूरत हो तब सुधारात्मक कार्रवाईयां भी करता है।

निवेश संविभाग

15. वर्ष 2000 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ती ब्याज दर के परिदृश्य में बैंकों के निवेश संविभाग का एक तनाव परिक्षण किया जब ब्याज दरों में कमी की सामान्य प्रवृत्ति चल रही थी। उस समय भारत में बैंक बाजार जोखिम के लिए, जोकि बासल मानदंडों से थोड़ा भिन्न था, एक सरोगेट कैपिटल चार्ज बनाए रख रहे थे। इसके निष्कर्षों के आधार पर ब्याज दर जोखिम की विपरीत प्रभाव की स्थिति से निपटने के लिए बैंकिंग प्रणाली को सुसज्जित करने के उद्देश्य से जनवरी 2002 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 5 वर्ष की अवधि के भीतर एक निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित (आइएफआर) निधि निर्मित करें। इस आइएफआर के लिए विवेकसम्मत लक्ष्य 'व्यापार के लिए धारित' (एचएफटी) और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस) श्रेणियों में उनके निवेशों का 5 प्रतिशत था। बैंकों को उनके एएफएस और एचएफटी निवेशों के 10 प्रतिशत तक आइएफआर का उच्च प्रतिशत निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इस प्रतिचक्रिय विवेकसम्मत अपेक्षा ने बैंकों को विपरीत प्रभाव का कुछ हिस्सा सहने में समर्थ बनाया जब 2004 के अंतिम हिस्से में ब्याज दरें विपरीत दिशा में चलनी शुरू हो गईं। आइएफआर की बकाया धारिताओं को टियर I पूंजी के रूप में मानने के साथ अक्टूबर 2005 तक आइएफआर को क्रमिक रूप से चरणों में समाप्त कर दिया। बैंक बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार बनाए रखते रहे हैं जैसा कि मार्च 2006 के अंत से बासल मानदंडों के अंतर्गत परिकल्पना की गई है।

16. 2004 में ब्याज दरों की चाल की दिशा में परिवर्तन के साथ 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम) श्रेणी पर उच्चतम सीमा (कुल निवेश का 25 प्रतिशत पर) की सांविधिक निर्देशों के आलोक में समीक्षा की गई थी जिसमें बैंकों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अपनी मांग और

मीयादी देयताओं (डीटीएल)का 25 प्रतिशत तक अनिवार्य रूप से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करें। सांविधिक पूर्वक्रय और सरकारी प्रतिभूतियों की दीर्घावधि के परिप्रेक्ष्य में बैंकों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेशों के 25 प्रतिशत की उच्चतम सीमा को पार करने की अनुमति दी गई बशर्ते इस अतिरिक्त हिस्से में केवल एसएलआर प्रतिभूतियां और एचटीएम श्रेणी में धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियां उनके डीटीएल के 25 प्रतिशत से अधिक न हों। प्रतिभूतियों की एचटीएम श्रेणी में एक बार अंतरण (शिफ्टिंग) अर्जन लागत अथवा बही मूल्य अथवा अंतरण की तारीख को बाजार मूल्य, जो भी कम हो, अनुमत था और ऐसे अंतरण पर मूल्य गैस, यदि कोई हो, तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाना अनिवार्य था। इन परिवर्तनों से ब्याज दर चक्रों के साथ बैंकों के निवेश संविभाग के डायनामिक इंटरफेस को मान्यता मिली और ये प्रतिचक्रिय थे।

लेखांकन नीतियां - लिया न गया लाभ और प्रतिभूतिकृत सौदों पर लाभ

17. बैंकों द्वारा किए जानेवाले निवेशों के मूल्यन के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण के फायदे को देखते हुए मौजूदा निर्देश में यह अपेक्षित है कि बैंक हानियों (मूल्यहास) को पहचानें और वृद्धि (लाभ) को नजरअंदाज करें। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे स्क्रिपवार मूल्यन और श्रेणीवार समूहन के सिद्धांत का अंतरण करते हुए निर्दिष्ट आवधिकता पर एचएफटी और एएफएस श्रेणियों में प्रत्येक स्क्रिप को बाजार भाव पर अनिवार्य रूप से अंकित करें। उस श्रेणी के अंतर्गत निवल मूल्यहास/मूल्यवृद्धि पर पहुंचने के लिए एक विशेष वर्गीकरण (तुलनपत्र के प्रयोजन हेतु अपेक्षित वर्गीकरणों के अनुसार) में निवेशों को समूहित किया जा सकता है। यदि कोई निवल मूल्यहास हो तो उसके लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है और यदि कोई निवल मूल्यवृद्धि हो तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए। साथ ही, किसी एक वर्गीकरण में अपेक्षित निवल मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान को किसी अन्य वर्गीकरण में हुई निवल वृद्धि के कारण घटाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार, वित्तीय

लिखतों के मूल्य में न लिए गए लाभ के रूप में बैंकों के तुलनपत्र में एक अंतर्निर्मित कुशन है।

18. प्रतिभूतिकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण में प्रवर्तक द्वारा सीधे सीधे लाभ कमाने की अनुमति नहीं देते हैं लेकिन निर्दिष्ट करते हैं कि आस्ति बिक्री के कारण होनेवाला कोई लाभ/प्रिमियम अथवा हानि/बट्टा विशेष प्रयोजन के साधन द्वारा जारी की गई अथवा जारी की जानेवाली प्रतिभूतियों के पूरे जीवन पर परिशोधित किया जाना चाहिए। इस उपाय ने यह सुनिश्चित किया कि प्रॉफिट बुकिंग बैंकों के प्रतिभूतिकरण संबंधी लेनदेनों का मुख्य प्रेरक उद्देश्य नहीं था।

लीवरेज का पैमाना

19. निरपेक्ष और वृद्धिशील क्रेडिट समुच्चय (क्रेडिट जमा अनुपात सहित) ढेर सारे चरों में ऐसे चर हैं जो समष्टि आर्थिक और विवेकसम्मत नीति निर्माण का एक अभिन्न अंग बनाते हैं। भारतीय संदर्भ में जब प्रणाली में स्वयं ही उच्च समग्र निरपेक्ष क्रेडिट जमा अनुपात (यों कहें कि 70 प्रतिशत से अधिक) हो तो 1,000 प्रतिशत से अधिक के वृद्धिशील क्रेडिट जमा अनुपात को ओवरहीटिंग के एक संकेत के रूप में लिया जाता है। क्रेडिट जमा अनुपात पर विवेकसम्मत ध्यान केंद्रित करना भी बैंकों को क्रेडिट प्रवाह के निधीयन हेतु जमा राशियां जुटाने के लिए प्रोत्साहित करता है और खरीदी कई निधियों के उपयोग को न्यून करता है। चूंकि एसएलआर के लिए अपेक्षा बीना किसी भार वाली प्रतिभूतियों को भारित करने की है, बैंक और ज्यादा आस्तियां लेने के लिए न्यूनतम एसएलआर संविभाग को लीवरेज नहीं कर सकते। इस प्रकार क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात और एसएलआर निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करने, इन दोनों ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली में लीवरेज डिग्री को सीमित करने के प्रयोजन को पूरा किया। भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय इकाइयों के लिए लीवरेज का स्तर भी नियंत्रित किया जाता है। विकास वित्त संस्थाएं (डीएफआई) जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, उनके लिए भी लीवरेज अनुपात का पालन करना अनिवार्य है जो

कि उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के गुणजों के अर्थ में परिभाषित किया गया है। जमा राशियां स्वीकार न करने वाली प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, हालांकि वे जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं करतीं, फिर भी वे पूंजी पर्याप्तता व्यवस्था के अधीन हैं। यह इसलिए किया गया था क्योंकि यह पाया गया कि ये कंपनियां अपने तुलन-पत्रों को बढ़ाने के लिए बैंकों और पूंजी बाजार से जनता की निधियां जुटा रही थीं।

गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश

20. बैंकों द्वारा गैर-सरकारी प्रतिभूतियों (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों) में निवेश का विवेकसम्मत प्रबंधन विनियामक फोकस का एक अन्य क्षेत्र रहा है जिसका मूल दृष्टिकोण यह है कि उनके निवेश संविभाग की पारदर्शिता बढ़ाई जाए। ऐसे प्रबंधन की आवश्यकता पहली बार वर्ष 2001-02 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में व्यक्त की गयी थी और गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश से उत्पन्न होने वाली जोखिमों को दूर करने के लिए नवंबर 2003 में बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शिता सिद्धांत जारी किये गये थे। इन विवेकसम्मत उपायों में शामिल थे बैंकों के अल्पावधि (एक वर्ष से कम) निवेशों को केवल सीपी और सीडी तक सीमित रखना, ऐसे सभी गैर-एसएलआर निवेशों के लिए क्रेडिट रेटिंग पर जोर, गैर-सूचीबद्ध गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को सीमित रखने के लिए इसे समग्र गैर-एसएलआर निवेश संविभाग के 10 प्रतिशत तक सीमित रखना और व्यापक प्रकटीकरण अपेक्षाएं।

प्रतिभूतिकरण

21. भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2006 में मानके आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये। ये दिशा-निर्देश, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मूल निर्माता को प्रतिभूतिकरण के समय सामने-सामने प्रॉफिट बुकिंग करने से रोकते हैं। दो अन्य विशेषताएं हैं जो प्रावधान की गयी किसी भी क्रेडिट बढ़ोतरी पर न्यूनतम 9 प्रतिशत पूंजी बनाए

रखने और क्रेडिट बढ़ाए गये लेन-देन के जीवन के दौरान बढ़ाए गए क्रेडिट को रिलीज करने की अनुमति देने से संबंधित हैं। इस प्रकार भारत में बैंकों को स्वतंत्र रूप से प्रतिभूतिकरण का मार्ग अपनाने का प्रोत्साहन नहीं है जैसा कि बहुत से अन्य देशों में प्रतिभूतिकरण के 'वितरण के लिए बनाए गये' और 'अधिग्रहण और अंतरपणन' मॉडलों में देखा गया है। हमारी यह धारणा है कि इन मार्गदर्शि सिद्धांतों ने इस प्रणाली की अच्छी सेवा की है और उद्देश्य यह है कि इन्हें मूल निर्माताओं के लिए एक वर्ष की न्यूनतम अवरोद्ध अवधि तथा प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों के समूह का न्यूनतम 10 प्रतिशत रखना निर्दिष्ट करके सुदृढ़ बनाया जाए।

डेरिवेटिव

22. दिसंबर 2002 में ब्याज दर संविदाओं और विनियम दर संविदाओं की परिपक्वताओं से जुड़े क्रेडिट परिवर्तन कारकों को निर्दिष्ट करके डेरिवेटिव के लिए बैंकों के एक्सपोजर को पूंजी पर्याप्तता व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया। तदनुसार, 1 अप्रैल 2003 से बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोजर निर्धारित करने में सभी डेरिवेटिव उत्पादों के लिए लगातार मूल परिपक्वता पर आधारित मूल एक्सपोजर पद्धति अपनाएं अथवा अवशिष्ट परिपक्वता पर आधारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति अपनाएं। इस क्षेत्र में बैंकों द्वारा पर्याप्त विशेषज्ञता हासिल कर लेने के बाद मूल एक्सपोजर पद्धति का विकल्प समाप्त कर दिया गया और अगस्त 2008 से बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ब्याज दर और विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेन-देनों से उत्पन्न होने वाले एक्सपोजरों को मौजूदा एक्सपोजर पद्धति अपनाते हुए अपने क्रेडिट एक्सपोजरों की गणना करें। इसके कनवर्शन फैक्टर बढ़ा दिए गए और कतिपय अवशिष्ट परिपक्वताओं के लिए इसे दुगुना कर दिया गया ताकि ऐसे डेरिवेटिव उत्पादों के लिए उपलब्ध पूंजी कुशन में सुधार आये।

23. वर्ष 2006 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में किए गए संशोधन से भारतीय रिजर्व बैंक के पास उन

डेरिवेटिव उत्पादों को विनियमित करने की स्पष्ट शक्तियां आ गईं जिनके अंतर्गत विनियम दर ब्याज दर अथवा क्रेडिट रेटिंग निहित थी। डेरिवेटिवों के संबंध में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत अप्रैल 2007 में जारी किए गए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का उद्देश्य प्रणाली के साथ-साथ बाजार खिलाड़ी के हितों की रक्षा करना, पात्रता मानदंड निर्धारित करना, डेरिवेटिव लेनदेन करने के लिए व्यापक सिद्धांत बनाना, स्वीकार्य डेरिवेटिव लिखत, जोखिम प्रबंध और कारपोरेट गवर्नेंस पहलुओं के साथ-साथ ग्राहक के लिए डेरिवेटिव की उपयुक्तता और सटीकता, दोनों से ही संबंधित पहलुओं को निर्धारित करना था।

संपार्श्विकीकृत मुद्रा बाजार

24. मुद्रा बाजारों में असंपार्श्विकीकृत उधार लेने और देने पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में अनेक ढांचागत उपाय प्रारंभ किए थे। वर्ष 2002 में मांग मुद्रा उधार लेने और देने संबंधी सीमाएं निर्धारित की गई थीं। इसके साथ ही साथ भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल), जो एक केंद्रीय काउंटर पार्टी के रूप में कार्य करेगा, के साथ बाजार रिपो और संपार्श्विकीकृत उधार ऋणदायी बाध्यता बाजारों को विकसित करने के लिए उपाय किए गए थे। अगस्त 2005 तक असंपार्श्विकीकृत मांग मुद्रा बाजारों से बैंकेतर सहभागी चरणबद्ध रूप से बाहर हो गए और अब यह शुद्धतः एक अंतर-बैंक बाजार है। हाल ही के महीनों में कुल मुद्रा बाजार में (संपार्श्विकीकृत) बाजार रिपो और सीबीएलओ खंड का हिस्सा लगभग 90 प्रतिशत है।

अंतर-बैंक एक्सपोजरों संबंधी सीमा

25. बैंकिंग प्रणाली के भीतर ही अत्यंत परस्पर सहयोजिता की संभावित प्रभाव को पहचान कर मार्च 2007 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैंक की अंतर-बैंक देयताएं (आइबीएल) उसकी निवल मालियत से दुगुने तक सीमित कर दीं। उन बैंकों के लिए निवल मालियत के 300 प्रतिशत तक की उच्चतम सीमा अनुमत की गई थी जिनका सीआरएआर

न्यूनतम सीआरएआर(9 प्रतिशत) से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक था अर्थात् 11.25 प्रतिशत ।

कारपोरेट गवर्नेंस

26. बैंकों का विविधीकृत स्वामित्व रखने के महत्व पर विचार करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी शेयर धारक अथवा शेयर धारकों के समूह द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह का कोई प्रभुत्व न रहे साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि बैंकों के महत्वपूर्ण मालिक ज़सही और उचित हों, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2003 में निदेशकों के लिए स्वामित्व तथा गवर्नेंस के संबंध में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ-साथ ज़सही और उचित अपेक्षाओं संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये। मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत बैंक के शेयरों का किसी भी प्रकार का अंतरण जिसकी राशि उसकी कुल प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत या उससे अधिक हो, उसके लिए जरूरी है कि इस अंतरण को पंजीकृत करने से पहले बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन लेना होगा और उसके बाद ही बैंक उसे पंजीकृत कर सकेगा। 10 प्रतिशत से अधिक की धारिताओं के लिए पूर्वानुमोदन लिया जाना अनिवार्य है। बड़े उद्योग घराने किसी भी बैंक का स्वामित्व 10 प्रतिशत से अधिक नहीं रख सकते हैं।

27. बैंकों में कारपोरेट गवर्नेंस मानकों में सुधार लाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न कदम उठाए हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए नामांकन समितियां गठित करना अनिवार्य है ताकि वे उचित पर्याप्त सावधानी के माध्यम से निदेशक मंडल की 'सही और उचित स्थिति का पर्यवेक्षण कर सकें और निदेशकों आवधिक रूप से कोवेनेंट डीड प्राप्त कर सकें। नये दिमागों और विचारों को लेना सुसाध्य बनाने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों में गैर कार्यकारी निदेशकों के लिए उच्चतम आयु सीमा निर्धारित की गयी है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के बैंकों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद विभाजित करके अंशकालिक अध्यक्ष जो बैंकों के लिए रणनीतिक दृष्टि प्रदान करेगा और प्रबंध निदेशक

एक मुख्य कार्यपालक के रूप में बैंक के रोज़मर्रा के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का वेतन (कंपेन्सेशन)

28. रिज़र्व बैंक को संविधान की ओर से निजी क्षेत्र के बैंकों के कार्यपालक वेतन को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक का यह संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि बैंक के कार्यपालकों के वेतन और पूर्णकालिक निदेशकों के वेतन अत्यधिक न हों। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(ख) के अनुसार भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उनके कार्यपालकों को दिये जाने वाले वेतन के लिए रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करें जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंक के मुख्य कार्यपालकों का वेतन भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

29. भारतीय रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालक वेतन चाहे ये नकद रूप में हो अथवा स्टॉक के रूप में हो, संबंधित बैंक की वित्तीय स्थिति तथा उस उद्योग की प्रथा को ध्यान में रखते हुए उचित होना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों को यह अनुदेश दिया है कि वे भारत में उद्योग की प्रथा के अनुरूप एक पर्याप्त स्तर पर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के वेतन पैकेज का निर्धारण करें। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के वार्षिक बोनस उनके आधार वेतन के कतिपय प्रतिशत पर निर्धारित किये गये हैं। बैंकों की वेतन (कंपेन्सेशन) समितियां, जिसमें स्वतंत्र निदेशक रहते हैं, बैंकों में वेतन ढांचे के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी बनाई गई है।

बाह्य ऋण पर प्रतिबंध_बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मध्यस्थन

30. पूंजी खाता प्रबंधन के एक उपाय के रूप में विदेशी बाजारों के लिए बैंकिंग प्रणाली की पहुंच विनियमित की

गयी है। कुछ उदारीकरण वर्ष 2004 में अनुमत किया गया था जब भारत में बैंकों को उनकी अक्षत टीयर 1 पूंजी के 25 प्रतिशत से अनधिक अथवा 10 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर, जो भी अधिक हो, विदेश से निधियां जुटाने की अनुमति दी गयी थी। विदेशी निधियों तक पहुंच पाने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को अपेक्षाकृत अधिक नमनीयता प्रदान करने की दृष्टि से यह सुविधा अक्टूबर 2008 में और उदार बना दी गयी थी और उपर्युक्त सीमा को बढ़ाकर उनकी टीयर-1 अक्षत पूंजी के 50 प्रतिशत तक कर दिया गया था। इस विंडो के अलावा भारत में बैंकों के पास विनियामक पूंजी लिखतें, जिसमें विदेशी मुद्रा में नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतें और ऋण पूंजी लिखतें जारी कर के जुटाई/बढ़ाई गयी पूंजी निधियां और रिजर्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन से लिए गये कोई अन्य विदेशी मुद्रा उधार शामिल हैं, जुटाने के लिए वैश्विक वित्तीय बाजारों तक भी पहुंच शामिल है। इसी प्रकार, वित्तीय संस्थाओं द्वारा विदेश से उधार लेने पर प्रतिबंध है। इन उपायों ने यह सुनिश्चित किया है कि विदेशी उधारदाता कंपनियों पर सीधे जोखिम न ले और बैंकों अथवा किसी वित्तीय मध्यस्थ संस्था द्वारा किये जाने वाले मध्यस्थन फायदे को लीवरेज न करें।

बाजार ढांचा

31. निपटान जोखिम को न्यूनतम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गयी संस्थागत व्यवस्था एक केन्द्रीय काउंटर पार्टी के रूप में वर्ष 2001 में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) की स्थापना थी। यह सरकारी प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार लिखतों और विदेशी मुद्रा उत्पादों में किये गए लेनदेनों के समाशोधन और निपटान हेतु एक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। अक्टूबर 2007 में, सीसीआइएल एक अंतरराष्ट्रीय संस्था सीसीपी 12 का सदस्य बन गया जो केन्द्रीय काउंटर पार्टी समाशोधन संगठनों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसके अलावा, अधिकाधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कारपोरेट बांडों में व्यापारों की रिपोर्ट करने के लिए भी प्रणालियां हैं।

वित्तीय संगुटों का पर्यवेक्षण

32. बड़े वित्तीय समूहों के पर्यवेक्षण के लिए खंडीय दृष्टिकोण की सीमाओं की समस्या को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के परामर्श से जून 2004 में वित्तीय संगुटों के लिए एक विशेष वित्तीय ढांचा स्थापित किया। इस ढांचे के अंतर्गत चिह्नित वित्तीय कंपनियों से उनके तत्संबंधित प्रधान विनियामकों से कतिपय महत्वपूर्ण सूचना / आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। यह आंकड़े / सूचना अन्य लोगों के बीच चिह्नित समूह के आंतर समूह लेन-देनों और एक्सपोजर के बारे में आंकड़े / सूचना प्रदान करते हैं। समूह के भीतर इकाईयों को भारी एक्सपोजर के जमाव की खोज खबर रखने की दृष्टि से अंतर-समूह लेन-देनों की समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये लेन-देन एक निश्चित दूरी वाला संबद्ध रखते हुए किये जाते हैं जिससे की हानियों को अंतरित करने के मामलों को पहचाना जा सके और विनियामक / पर्यवेक्षी अंतरपणन की स्थितियों का पता लगाया जा सके। बाहरी काउंटर पार्टियों और विभिन्न वित्तीय बाजार समूहों (इक्विटी, ऋण, मुद्रा बाजार, डेरिवेटिव बाजार, आदि) के लिए सामूहिक आधार पर समूह को एक्सपोजर के बिल्डअप का भी आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार यह निगरानी व्यवस्था समूह द्वारा सामना की जा रही विभिन्न संक्रेन्द्रण जोखिम की दृष्टि से समूह के भीतर ऋणसर्जन्य जोखिम को खोज कर पकड़ने के साथ-साथ खास बाहरी इकाईयों, क्षेत्रों और बाजार खंडों को इसके संचयी एक्सपोजर को खोज कर पकड़ता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन

33. चूंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का प्रणालीगत महत्व है अतः उनके विनियमन की आवश्यकता है जो कि अब वैश्विक रूप से नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसे एक दशक पहले ही भारत द्वारा पहचान लिया गया था जब रिजर्व बैंक के विनियामक दायरे के

भीतर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम संशोधित किया गया था।

34. इसका प्रारंभिक दृष्टिकोण जमाकर्ता के संरक्षण के उद्देश्य पर केंद्रित था और सभी विनियमन इस उद्देश्य को रख कर तैयार किये गये थे। तदनुसार, जमाराशियां स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी) अत्यंत कम विनियमाधीन थीं। तथापि, कतिपय इकाईयों के प्रणालीगत महत्व को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2006 में 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के आस्ति आकार वाली जमाराशियां स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण के रूप में वर्गीकृत किया। ऐसी कंपनियों का पूंजी आधार सुदृढ़ बनाने और अत्यंत लीवरेज की संभावना को घटाने के लिए क्रेडिट संकेंद्रण मानदंडों के अलावा पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाएं भी प्रारंभ की गयी थीं। 10 प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो कि बैंकों के लिए निर्दिष्ट किये गये अनुपात से अधिक है, 1 अप्रैल 2007 से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशियां स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निर्धारित किया गया था।

35. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशियां स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 1 अप्रैल 2007 से पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अलावा एकल और समूह क्रेडिट/निवेश संकेंद्रण मानदंड भी लागू किये गये थे ताकि वे किसी अकेली इकाई को अपनी स्वाधिकृत निधियों के 15 प्रतिशत से अनधिक उधार न दे सकें अथवा उनके शेयरों में निवेश न कर सकें; अपनी स्वाधिकृत निधियों के 25 प्रतिशत से अनधिक उधारकर्ताओं के किसी एक समूह को उधार न दे सकें अथवा शेयरों में निवेश न कर सकें; अथवा अपनी स्वाधिकृत निधियों के 25 प्रतिशत से अनधिक किसी एक पार्टी को और पार्टियों के किसी एक समूहों को स्वीकृत निधि के 40 प्रतिशत तक उधार न दे सकें और निवेश (ऋण और निवेश एक साथ मिलाकर) न कर सकें।

प्रतिचक्रीय विवेकसम्मत उपाय

36. उन क्षेत्रों को, जो जोखिम इकट्टी होने के संकेत दर्शा रहे थे, अत्यधिक क्रेडिट वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 2004 से लेकर 2007 तक पूर्वोपायी प्रावधानीकरण तथा विभेदक जोखिम भारों का मौद्रिक नीति के साथ उपयोग किया। इनमें वे क्षेत्र शामिल हैं जहाँ आस्तियों के मूल्य तेजी से बढ़ रहे थे (जैसे कि रियल इस्टेट और पूंजी बाजार) तथा फुटकर अथवा व्यक्तिगत ऋण क्षेत्र जहाँ अत्यंत उच्च क्रेडिट वृद्धि के दौर में यह माना गया था कि हमीदारी के मानक कम कर दिए गए थे। उदाहरण के लिए, वर्ष 2004 में उपभोक्ता ऋण के लिए 125 प्रतिशत (पहले 100 प्रतिशत था) का अपेक्षाकृत अधिक जोखिमभार निर्धारित किया गया था जिसमें व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्तियाँ शामिल थीं। इसी प्रकार, जुलाई 2005 में पूंजी बाजार और वाणिज्यिक रियल इस्टेट को सतत तेज क्रेडिट विस्तार ने रिजर्व बैंक को इन क्षेत्रों को बैंकों के एक्सपोजर पर जोखिम भारों को बढ़ा कर 125 प्रतिशत करने के लिए प्रेरित किया। लगभग एक वर्ष बाद मई 2006 में वाणिज्यिक रियल इस्टेट एक्सपोजर पर जोखिमभार को और बढ़ा कर के 125 प्रतिशत से 150 प्रतिशत कर दिया गया। जनवरी 2007 में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण और जमाराशियां स्वीकार न करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों के एक्सपोजर हेतु जोखिमभार 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया। इन क्षेत्रों के लिए लागू अपेक्षाकृत अधिक जोखिम भार विवेकसम्मत प्रयोजन सिद्ध करने के अलावा क्रेडिट वृद्धि को कम करने के लिए एक कारगर साधन के रूप में पाया गया। ऋण गुणवत्ता में क्षरण की प्रत्याशा में जो उच्च क्रेडिट वृद्धि के संदर्भ में प्रत्याशित है, कतिपय संवेदनशील क्षेत्रों यथा पूंजी बाजार एक्सपोजर, 20 लाख से अधिक के निवासी आवासीय ऋण, वाणिज्यिक रियल इस्टेट ऋण और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण और जमाराशियां स्वीकार न करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधानीकरण अपेक्षा मई 2006 में 0.4 प्रतिशत से बढ़ाकर

एक प्रतिशत कर दी गई थी और बाद में बढ़ाकर जनवरी 2007 में 2 प्रतिशत कर दी गई थी।

37. इन निर्धारणों की वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में नवंबर 2008 में समीक्षा की गयी थी। संवेदनशील क्षेत्रों को जोखिम भार उंचे स्तरों से घटाकर वापस 100 प्रतिशत पर कर दिया गया था। कृषि और लघु एवं मझौले उद्योग क्षेत्रों को प्रत्यक्ष अग्रिमों के मामला, जो अब तक लगातार 0.25 प्रतिशत का प्रावधानीकरण आकर्षित कर रहा था, को छोड़कर सभी प्रकार की मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाएं घटाकर 0.40 प्रतिशत के एक समान स्तर पर कर दी गयी थीं। जैसी ही अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई, यह पाया गया था कि सीआरई क्षेत्र को क्रेडिट फिर से तेज वृद्धि के संकेत दर्शाने लगा जबकि इस क्षेत्र में मांग की कमी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर थी। अनर्जक आस्तियों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए अक्टूबर 2009 में सीआरई के लिए प्रावधानीकरण की अपेक्षा बढ़ाकर अक्टूबर 2009 में 1 प्रतिशत कर दी गयी थी। इस प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रीन स्पान परंपरा से हटकर आस्ति मूल्य बुलबुलों और विस्फोटों से बैंकिंग प्रणाली को बचाने के लिए विवेकसम्मत उपायों का उपयोग किया।

वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत ढांचे का विकास

38. बैंकिंग नियामक होने के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के पास - जमा लेने वाली और जमा न लेनेवाली दोनों ही प्रकार की - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही, यह विदेशी मुद्रा, मुद्रा और सरकारी बांड बाजारों को भी नियंत्रित करता है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत पूंजी नियंत्रण लगा भी सकता है और हटा भी सकता है। इसके अलावा, वर्ष 2007 में पारित तत्संबंधित अधिनियम के अंतर्गत भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक विनियामक प्राधिकारी है। इन शक्तियों ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को एक

मुख्य प्रणाली नियंत्रक बनाया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विकसित किए गए संस्थागत ढांचे में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड शामिल किया गया है जिसकी स्थापना 1994 में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक समिति के रूप में की गई थी जिसका कार्य वाणिज्यिक बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, विशेषीकृत वित्तीय संस्थाओं, शहरी सहकारी बैंक और प्राथमिक व्यापारियों के कार्यों के पर्यवेक्षण कार्य का पर्यवेक्षण करना है। विनियमन के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के एक अंग के रूप में वित्तीय और पूंजी बाजारों के संबंध में एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति (एचएलसीसीएफसीएम) 1999 में गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और प्रतिभूति बाजार तथा बीमा विनियामकों के प्रमुख तथा वित्त मंत्रालय के सचिव इसके सदस्य के रूप में थे। मार्च 2005 में भुगतान और निपटान प्रणालियों का एक विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) गठित किया गया था और इसके साथ ही रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति को भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों को सरलता से विकसित करने और चलाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

विनियामक प्रतिक्रिया - संकट के उपरांत

39. भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रचुर चलनिधि और सुंगम विदेशी मुद्रा चलनिधि उपलब्ध करा कर के इस संकट के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दर्शायी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्रेडिट और वित्तीय सामान्य रूप से काम करते रहें। वृद्धि की गति के उतार को रोकने की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का सतत प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इसने व्यवहार्य ऋण खातों की पुनर्संरचना करने के लिए विनियामक मार्गदर्शन भी प्रदान किया।

चलनिधि उपाय

40. आक्रामक रूप से और तेजी से नीतिगत ब्याज दरें कम कर दी गईं, केंद्रीय बैंक के पास रखे बैंक प्रारक्षितों की

मात्रा भी काफी घटा दी गई। एसएमई/आवासन और निर्यात जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गईं अथवा उन में वृद्धि की गई। विदेशी मुद्रा चलनिधि प्रबंध को लक्ष्य कर के किए गए उपायों में शामिल थे अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले विदेशी मुद्रा जमा पर ब्याज दर उच्चतम सीमा का ऊर्ध्वमुखी समायोजन, कंपनियों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) व्यवस्था में ढील देना और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा आवास वित्त कंपनियों को विदेशी उधारों तक पहुंच की अनुमति देने के साथ-साथ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के लिए रुपया - डॉलर अदला-बदली (स्वैप) की अनुमति देना। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को समर्थन प्रदान करने के लिए एक विशेष पुनर्वित्त खिड़की के साथ-साथ एक विशेष प्रयोजन का साधन भी प्रारंभ किया गया था। एक्जिम बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के माध्यम से निर्यात, आवासन और एसएमई क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पुनर्वित्त प्रदान किया गया था।

प्रतिचक्रिय उपाय

41. नवंबर 2008 में, एक प्रतिचक्रिय उपाय के रूप में, अतिरिक्त जोखिमभार और प्रावधान वापस लेकर उन्हें पिछले स्तर पर बहाल कर दिया गया था। पुनर्संचित खातों के लिए विवेकसम्मत विनियमों को आशोधित किया गया था और बैंकों को इन पुनर्संचित खातों को कतिपय बचावपरक सावधानियों जैसे कि व्यवहार्यता, पर्याप्त प्रावधान करना और पूर्ण प्रकटीकरण की शर्तों को पूरा करने के अधीन जमानकट आस्ति के रूप में मानने की अनुमति दी गई थी। आस्तियां, जो कि अन्यथा व्यवहार्य थीं, का आर्थिक और उत्पादक मूल्य संरक्षित करने की आवश्यकता के संदर्भ में यह एक बारगी उपाय के रूप में था। ए आशोधित नियमन उन आवेदनों के लिए लागू थे जो पुनर्संचना के लिए 31 मार्च 2009 तक प्राप्त हुए थे और पुनर्संचित पैकेज आवेदन की प्राप्ति के 120 दिनों के भीतर अथवा 30 जून 2009 तक, जो भी पहले हो, कार्यान्वित किए गए थे।

गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए सीआरएआर में वृद्धि आस्थगित

42. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में, पूंजी जुटाने की उनकी आवश्यकता के संदर्भ में, उन्हें विनियामक पूंजी के लिए पात्र बेमीयादी ऋण लिखते जारी करने की अनुमति दी गई थी। उन्हें जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) के मौजूदा निर्दिष्ट की गई 12 प्रतिशत की अपेक्षा को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के लिए एक वर्ष का और समय भी दिया गया था।

प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

43. पुनर्संचना और धीमी वृद्धि का बैंकों की क्रेडिट गुणवत्ता पर असर को पहचानते हुए और जब बैंकों की कमाई अच्छी हो रही हो उस समय प्रावधानों को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2009 में बैंकों को सूचित किया गया था कि उनका कुल प्रावधान कवरेज अनुपात सितंबर 2010 तक 70 प्रतिशत से नीचे नहीं रहना चाहिए।

प्रतिभूतिकरण के दिशा-निर्देशों का सुदृढीकरण

44. यह सुनिश्चित करने के लिए कि बनानेवाले मूल निर्माता प्रतिभूतिकरण के प्रयोजन हेतु आस्तियां बनाने के कार्य में इस भी तरह की कोताही से समझौता न करें, इसके लिए हालहि में यह निर्णय लिया गया है कि इन्हें प्रतिभूतिकृत करने से पहले बैंक ऋण के लिए एक वर्ष की न्यूनतम अवरुद्ध अवधि निर्दिष्ट की जाए। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक अन्य उपाय के रूप में प्रतिभूतिकृत की जानेवाली आस्तियों के समुह का 10 प्रतिशत मूल निर्माताओं के लिए न्यूनतम प्रतिधारण मानदंड निर्धारित किया जाए।

विनियामक अंतरों को दूर करना : एनसीडी और पूंजी के निजी भंडार

45. विनियामक अंतर का एक क्षेत्र जो पहचाना गया था, वह था एक वर्ष से कम की परिपक्वता के अपरिपवर्तनीय

डिबेंचर (एनसीडी) का निर्गम। जहां बैंकों को ऐसी लिखतों में निवेश करने की अनुमति नहीं थी, वहीं म्युचुअल फंड ऐसा कर सकते थे और बैंकों से म्युचुअल फंडों को निधियों के भारी प्रवाह के संदर्भ में चिंताएं थीं कि एक वर्ष से कम की परिपक्वतावाले एनसीडी पर कंपनियों की निर्भरता बढ़ गई थी लेकिन यह सेबी अथवा भारत सरकार में से किसी के भी विनियामक दायरे में नहीं आती थी। एचएलसीसीएफएम ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि इन लिखतों की रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा बाजार लिखतों के रूप में विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए गठित किए गए आंतरिक कार्यदल द्वारा तैयार किए गए प्रारूप मार्गदर्शी सिद्धांत टिप्पणियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वेब साईट पर रखे गए हैं।

46 हाल ही में भारत में बैंकों ने जोखिम पूंजी निधि और इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडों जैसे पूंजी के प्राइवेट पूलों को प्रायोजित करने और प्रबंध करने में बढ़ती हुई रुचि दर्शायी है। इस संबंध में विनियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया था कि बैंकों की तुलनपत्रेतर गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक उचित विवेकसम्मत ढांचा स्थापित किया जाए। तदनुसार, रिजर्व बैंक द्वारा इस पर अभिमत मांगने के लिए एक प्रारूप चर्चा पत्र रखा गया है।

एनबीएफसी के लिए प्रकटीकरण मानदंडों को सुदृढ़ बनाना

47. एनबीएफसी - एनडी-एसआइ के संबंध में प्रकटीकरण मानदंडों की भी समीक्षा की गई थी और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी को जोखिम भारित आस्तियों में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर, रिप्ल इस्टेट क्षेत्र को एक्सपोजर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तथा आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता स्वरूप के संबंध में 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष से अपने तुलनपत्र में अतिरिक्त प्रकटीकरण करने के लिए सूचित किया गया था।

कारपोरेट बांडों में रिपो

48. कारपोरेट बांड बाजार को विकसित करने में सहायता देने के उद्देश्य से और सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी1) आधार पर कारपोरेट बांडों में व्यापार (ट्रेड-बाय-ट्रेड आधार पर) का निपटान और 'स्ट्रेट-थ्रू-प्रोसेसिंग' (एसटीपी) सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करने के पश्चात रिजर्व बैंक ने बाजार सहभागियों के साथ परामर्श करके कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों ने रिपो लेन-देन के संबंध में प्रारूप मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये हैं।

करेंसी और ब्याज दर फ्यूचर्स

49. अंतरराष्ट्रीय अनुभव का अध्ययन करने और भारत में एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स शुरू करने के प्रस्ताव को चालू करने के लिए एक उपयुक्त ढांचा सुझाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा एक अंतरिक कार्य दल गठित किया गया था। इस समूह ने बैंकों को करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंजों के डायरेक्ट ट्रेडिंग - कम - क्लियरिंग सदस्य बनने के लिए बैंकों को अनुमति देने की सिफारिश की बशर्ते वे न्यूनतम निवल मालियत, सीआरएआर, लाभप्रदता, आदि जैसे विवेकसम्मत मानदंड पूरे करते हों। इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए और बाजार सहभागियों अपने करेंसी जोखिम बेहतर तरीके से प्रबंध करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से अगस्त 2008 में करेंसी फ्यूचर्स प्रारंभ किये गये हैं। प्रारंभ में, केवल अमरीकी डॉलर - भारतीय रुपया संविदाओं की अनुमति दी गयी थी। करेंसी फ्यूचर्सों के लिए बाजार विकसित करने के एक अंग के रूप में यूरो - भारतीय रुपया, जापानी येन - भारतीय रुपया और पौंड स्टर्लिंग - भारतीय रुपया के करेंसी जोड़ों में करेंसी फ्यूचर्स संविदाएं भी जनवरी 2010 से प्रारंभ की गयी हैं।

50. ब्याज दर जोखिम का बेहतर प्रबंधन करने के उद्देश्य से अगस्त 2009 में ब्याज दर फ्यूचर्स प्रारंभ किये गये थे। ये मानकीकृत ब्याज दर फ्यूचर्स संविदाएं अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि के साथ 7 प्रतिशत वार्षिक के सांकेतिक कूपन के साथ 10 वर्षीय सांकेतिक कूपन वाली भारत सरकार प्रतिभूति के संबंध में हैं।

एक नाम वाले क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप

51. भारत में वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण की क्रमिक प्रक्रिया के एक अंग के रूप में यह उचित समझा गया कि सुविचारित ढंग से क्रेडिट डेरिवेटिव शुरू किए जाएं। 2007 में रिजर्व बैंक ने भारत में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) प्रारंभ करने के लिए प्रारूप मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये थे। तथापि, हाल ही के वित्तीय संकट में क्रेडिट डेरिवेटिवों की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए अंतिम मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना फिलहाल टाल दिया गया था। यह जरूरी था कि हम इस संबंध में इस वित्तीय संकट से मिले पाठों को देखते हुए सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें। क्रेडिट डेरिवेटिवों के क्षेत्र में पहले ही किये जा चुके / चल रहे अंतरराष्ट्रीय कार्य के अनुरूप चलने के उद्देश्य से और भारतीय बाजारों की विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव है कि उचित बचाव सावधानियों के साथ निवासी इकाईयों के लिए कारपोरेट बांडों हेतु एकदम सादी ओटीसी एम नाम वाली सीडीएस प्रारंभ करें। इस प्रयोजन हेतु एक कार्यदल गठित किया गया है।

वित्तीय स्थिरता इकाई की स्थापना

52 वित्तीय स्थिरता नीतिगत चिंताओं के मंच का केन्द्रीय स्थान पर काबिज होने के लिए आ गयी है। जैसा कि बहुत से क्षेत्राधिकारों में किया जा चुका है, रिजर्व बैंक ने एक सर्वथा भिन्न वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) गठित की गयी थी। अन्य बातों के साथ-साथ इस इकाई का उद्देश्य समष्टि विवेकसम्मत निगरानी और तनाव परीक्षण करना इसके कार्यों में शामिल है।

53 इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वैश्विक घटनाओं ने सुधारों के इस एजेंडा को ठप नहीं किया है बल्कि इस संकट से सीखे गये पाठों के आधार पर वित्तीय बाजारों के विकास हेतु अनेक उपाय किये गये हैं।

सुविचारित समापन का प्रारंभ

54 वृद्धि की गति तेज होने के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक निभावपरक मौद्रिक नीति दृष्टिकोण जो इस संकट के

प्रभाव से निपटने की रणनीति के एक अंग के रूप में अपनाया गया था, से सुविचारित तरीके से बाहर निकलने की बढ़ती आवश्यकता के प्रति सजग है। तथापि, भारत द्वारा सामना की जा रही नीतिगत दुविधा विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा सामना की जा रही दुविधाओं से गुणात्मक रूप से भिन्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधरने की गति विकसित देशों की तुलना में तेज रहने की आशा की जाती है। इसके अलावा, विकसित देशों के विपरीत भारत को उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जो मांग की अत्यंत कमी झेल रही अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक आपूर्ति प्रेरित प्रतीत होती है। इस उभरती रणनीति के अंग के रूप में जनवरी 2010 में प्रारक्षित अपेक्षाएं बढ़ा दी गयी थीं (एसएलआर में 100 प्रतिशत आधार अंक और सीआरआर में 75 प्रतिशत आधार अंक), अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए चलनिधि - पुनर्वित्त और विशेष मीयाद वाला रिपो - का प्रावधान करने के लिए अपारंपरिक सुविधाएं रोल बैंक की गयीं और एनबीएफसी तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) द्वारा अल्पावधि विदेशी मुद्रा उधार तक पहुंच समाप्त कर दी गयी।

**उभरती चुनौतियां / मुद्दे जिनपर ध्यान
केंद्रित करने की आवश्यकता है**

55 जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने जो महत्वपूर्ण चुनौती आती है वह यह है कि वित्तीय स्थिरता के साथ वृद्धि की आवश्यकताओं को किस प्रकार संतुलित किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक का व्यापक उद्देश्य रहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखते हुए अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र का ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित बना रहे। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरती नियामक प्रतिक्रियाएं भारत में वृद्धि को बाधित करेंगी।

लीवरेज अनुपात

56. चूंकि लीवरेज अनुपात के लिए किसी भी प्रकार की जटील मॉडलिंग मान्यताओं और अंशाकन प्रक्रियाओं की

आवश्यकता नहीं होती है, अतः जोखिम भारित पूंजी अपेक्षाओं के अलावा इसे रखना अवधारणात्मक रूप से लाभप्रद है। चूंकि भारत मुख्य रूप से एक बैंक प्रधान वित्तीय प्रणाली है जहां बैंक कार्यकारी पूंजी के साथ-साथ दीर्घावधि वित्त प्रदान करते हैं, अतः वृद्धि पर लीवरेज अनुपात लागू करने के प्रभाव को देखा जाना चाहिए। साथ ही रियल सेक्टर को समर्थन प्रदान करने के लिए साख-पत्र और गारंटियां जैसे विभिन्न तुलनपत्रेतर लेन-देन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्रस्तावित लीवरेज अनुपात की गणना के लिए 100 प्रतिशत क्रेडिट तुल्यता की संभावना होगी। भारत में एसएलआर बैंकों के लिए एक वैधानिक अपेक्षा है और लीवरेज अनुपात की गणना में एसएलआर प्रतिभूतियों को शामिल करना एक मुद्दा है जो हमारा ध्यान खींच रहा है, विशेषरूप से इसलिए कि ये प्रतिभूतियां उधार लेने के काम में नहीं लायी जा सकतीं।

पूंजी बफर: आकार

57. प्रतिचक्रियता को कम करने के लिए पूंजी बफरों का निर्माण करने के संदर्भ में बफरों के निर्धारण हेतु बैंकिंग क्षेत्र स्थिति का आकलन करने के लिए क्रेडिट समुच्चयों का उपयोग करने के बारे में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के लिए भिन्न निहितार्थ हो सकते हैं। भारत में बैंक क्रेडिट में वृद्धि अपेक्षाकृत कम आधार से वित्तीय गहनता होने, आपूर्ति नमनीयता में ढांचागत बदलाव, क्रेडिट बाजारों की दक्षता बढ़ने जैसे कारकों और संभवतः जीडीपी की अपनी ही उच्च वृद्धि से उत्पन्न होने वाली क्रेडिट मांग के अलावा कृषि और लघु उद्यम जैसे क्षेत्रों से क्रेडिट का प्रभाव सुधारने के लिए नीतिगत पहलों के कारण हो सकेगी।

आस्ति देयता प्रबंधन

58. भारत के पास बैंक प्रधान वित्तीय प्रणाली है और भारतीय अर्थव्यवस्था को आपूर्ति-बाधित होने के कारण दीर्घावधि स्वरूप के वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। इसे देखते हुए, वृद्धि का बढ़ा हुआ निधीयन और बैंकों का

विकास जिसकी देयताएं एक विशेष प्रकार से अल्पावधि स्वरूप की हैं, की वजह से आस्ति देयता विसंगतियां पैदा होंगी और ऐसी विसंगतियां से उत्पन्न होने वाले चलनिधि और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु उत्पादों की आवश्यकता है।

अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मार्गदर्शी सिद्धांत

59. काले धन को सफेद बनाने और संदिग्ध गतिविधियों के संदर्भ में केवायसी मार्गदर्शी सिद्धांत/मानदंड अत्यंत प्रासंगिक हैं। तथापि, कम मूल्य वाले और कम जोखिम वाले ग्राहकों पर उन्हें लागू करने की कठोरता को यथोचित रूप से आशोधित करने की आवश्यकता पड़ सकती है ताकि ऐसे ग्राहकों के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच सुलभ बन सके।

क्रेडिट सूचना

60. भारत में वित्तीय समावेशन हासिल करना रिजर्व बैंक के नीतिगत उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। इस संदर्भ में क्रेडिट सूचना की उपलब्धता से क्रेडिट योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट का प्रवाह सुसाध्य हो सकता है। जहां कुछ क्रेडिट कंपनियां भारत में अपना कारोबार जमाने की प्रक्रिया में हैं वहीं क्रेडिट सूचना की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता है।

क्रेडिट रेटिंग

61. क्रेडिट एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट रेटिंग की सुदृढ़ता और विश्वसनीयता निश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है। बासेल II के अंतर्गत रिजर्व बैंक ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की सतत मान्यता के लिए मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की समीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया हाल ही में पूरी की है। हम आयओएससीओ आचार संहिता के मूलभूत सिद्धांतों का क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अनुसरण करने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ भी संपर्क कर रहे हैं। सीआरए के विनियमन को सुदृढ़ बनाने के मुद्दा एचएलसीसीएफएम के

विचाराधीन है और एचएलसीसीएफएम द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर रखी गयी है।

जोखिम प्रबंधन क्षमताएं मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी विषयक मुद्दे

62. आगे आने वाले वर्षों में बैंकों को मानव संसाधन सहित अपनी बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन करने की आवश्यकता होगी जिससे कि जोखिम प्रबंधन की बढ़ती जटिलताओं का सामना किया जा सके। क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनीय जोखिम जैसी परंपरागत जोखिमों के अलावा ख्याति जोखिम, चलनिधि जोखिम, काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम और मॉडल जोखिम सहित नयी पीढ़ी की जोखिमों क्षितिज पर उभरी हैं और जिनका प्रबंधन करने के लिए स्पष्ट रूप से उच्च स्तरीय कौशल की आवश्यकता होती है ये मुद्दे भारतीय बैंकिंग उद्योग के स्टेक होल्डरों का ध्यान उलझाये हुए हैं।

बासेल II का कार्यान्वयन - उन्नत दृष्टिकोण

63. हमें भारत में बैंकों द्वारा बासेल II समझौते के प्रति उन्नत दृष्टिकोण का क्रमिक रूप से और सुविचारित तरीके से अंगीकरण करने के लिए एक समय सारणी घोषित की है। हमारे लिए चुनौतियों में शामिल है आर्थिक / कारोबारी चक्रों के लंबे इतिहास का अभाव। साथ ही, उन मामलों में पुराने आंकड़ों का उपयोग करना ठीक नहीं होगा जहां उस क्षेत्र विशेष में टांचागत रूपांतरण हो चुका है। उन्नत दृष्टिकोण के अंगीकरण के संबंध में दुसरा मुद्दा इस संभावना का है कि रोजगार - सघन खुदरा और लघु एवं मझौले उद्यम क्षेत्रों को दिये गए जोखिम भार कतिपय परिस्थितियों में बढ़ सकते हैं जिससे इन क्षेत्रों को होने वाला क्रेडिट प्रवाह प्रभावित हो सकता है अथवा इसे महंगा बना सकता है। हमें इन क्षेत्रों के उधारकर्ताओं के लिए उचित जोखिम निवारक विकसित करने की आवश्यकता पड़ सकती है जिसके आधार पर कम जोखिम भार निर्धारित किय जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें क्रेडिट का प्रवाह सतत बना रहे।

बुनियादी सुविधाओं का वित्तपोषण

64. यह अनुमान लगा गया है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-08 से 2011-12) के दौरान बुनियादी सुविधा हेतु उधार अपेक्षाएं लगभग 20 लाख करोड़ रुपए (450 बिलियन अमरीकी डालर) होंगी। यद्यपि, वर्षों के दौरान बुनियादी सुविधाओं हेतु बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधारों में स्थिर रूप से वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती रही है और जो मार्च 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार बैंक क्रेडिट का 9.7 प्रतिशत रही। बैंकों पर इस बात का दबाव पड़ता जा रहा है कि वे बुनियादी सुविधाओं का वित्तपोषण करें।

65. जहां आइआइएफसीएल / अन्य वित्तीय संस्थाएं के साथ अंतरण वित्तपोषण, बैंकों द्वारा बुनियादी सुविधा क्षेत्र को उनके एक्सपोजर सीमा तक दीर्घावधि बांड जारी करना और बुनियादी सुविधा वित्तपोषण हेतु एकल / समूह उधारकर्ता सीमाओं में कतिपय छूट देने जैसे उपाय पहले से ही हैं, बैंक बुनियादी सुविधा वित्तपोषण की बढ़ती मांग का वित्तपोषण करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। कारपोरेट बांड बाजार को सक्रिय करने और दीर्घावधि बचतों का दोहन करने जैसे कि बीमा और पेंशन निधियां बुनियादी सुविधा वित्तपोषण के लिए निधियों के एक वैकल्पिक स्रोत का संभावित द्वार खोल सकते हैं। बुनियादी सुविधाओं के लिए बैंक वित्त बढ़ाना सुसाध्य बनाने के लिए क्रेडिट निवारकों को खोजने की आवश्यकता है।

माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) निधीयन

66. बैंकर के दृष्टिकोण से, एमएसई क्षेत्र को ऋण की डिलीवरी को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं, कम इक्विटी आधार, विपणन समझौतों का अभाव, निधियों का विपथन, कमजोर प्रबंधन और लेखा बहियों का कमजोर रखरखाव, अर्नजक आस्तियों का उंचा स्तर, बीलों के भुगतान में विलंब के कारण खास तौर से मंदी के दौरान विलंब के कारण प्राप्य राशियों का बढ़ते जाना। एमएसई निधीयन में बैंकों का कारगर रूप से शामिल होने के लिए

यह जरूरी है कि क्रेडिट सूचना और क्रेडिट गारंटी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके अलावा, बैंकों को जोखिम प्रबंधन के लिए संविभाग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी। लेन-देन की लागतें घटाते हुए बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हुए नवोन्मेषी, विकेंद्रित और आवश्यकता अनुसार बनाई गयी क्रेडिट वितरण व्यवस्था के बारे में सोचने की आवश्यकता होगी।

वित्तीय समावेशन

67. हाल ही के वित्तीय संकट के जवाब में इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले वित्तीय क्षेत्र विनियमन को सुदृढ़ बनाया जा रहा है और भारत इसका कोई अपवाद नहीं है। अधिक पूंजी और उंची चलनिधि अपेक्षाओं पर विचार किया जा रहा है जो संभावित रूप से बैंकिंग कारोबार की लागत बढ़ा सकती हैं, जो अंततः उधार देने की बढ़ी हुई लागतों में परिलक्षित हो सकता है। चूंकि वित्तीय समावेशन के लिए इन उपायों का विपरीत निहितार्थ हो सकता है, अतः नीति निर्माताओं को वित्तीय समावेशन सुसाध्य बनाने के लिए बदले हुए विनियमों का मुंह देखने की जरूरत पड़ सकती है।

68. इसके अलावा, बढ़ते हुए वित्तीय समावेशन में स्पष्ट रूप से सूचना न देने वाले उधारकर्ताओं को बैंकों की मुख्य धारा में लाना शामिल है। हमने बैंक रहित और कम बैंकित क्षेत्रों में बैंकिंग को ले जाने के लिए कारोबारी संवाददाताओं के माध्यम से शाखा रहित बैंकिंग अथवा एजेंसी मॉडल प्रारंभ किया है। इस मॉडल में अन्य बातों के साथ-साथ साख जोखिमों और एजेंसी जोखिमों भी शामिल हैं। अतः

खुदरा क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के प्रति संविभागीय दृष्टिकोण सहित सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए नवोन्मेषी जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोणों को अपनाने की आवश्यकता है।

69. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ), भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल है। यह प्राधिकरण भारतीय निवासियों को एक विशिष्ट पहचान (यूआइडी) संख्या जारी करने की प्रक्रिया में है। यूआइडी का उपयोग बैंकिंग की मुख्य धारा के अंतर्गत वित्तीय रूप से वंचित लोगों को लाने में बड़े काम का सिद्ध होगा क्योंकि इससे अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) और क्रेडिट प्रोफाइलिंग में सहायता मिलेगी।

निष्कर्षात्मक टिप्पणियाँ

70. वर्षों के दौरान भारत में विकसित वित्तीय क्षेत्र विनियमन ने प्रणालीगत जोखिम, अंतरपणन और पूंजी खाता प्रबंधन की समस्याओं से निपटने के लिए उपाय करने के साथ-साथ एकल संस्थाओं के लिए विवेकसम्मत विनियमन पर ध्यान केंद्रित किया है। जब कतिपय जोखिम-प्रवण क्षेत्रों को क्रेडिट का प्रवाह अत्यंत उच्च दर से बढ़ने लगा तब अतिरिक्त पूंजी और मानक आस्तियों के प्रावधानीकरण के माध्यम से प्रतिचक्रिय उपाय प्रारंभ किए गए। आगे चलकर, हमारे लिए चुनौती है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो- और मैक्रो- विवेकसम्मत विनियमन की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए तेजी से बढ़ती और वैश्विक होती अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के विकास का अंशांकन (कैलिब्रेट) करना।